राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कविता गोदारा आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 112/2016 निर्णय दिनांक : 12.09.2023

रामेश्वर उर्फ आनन्द देव बनाम लादूराम वगै0

1. रामेश्वर उर्फ आनन्द देव पुत्र स्व. सांवत राम जाति मेघवाल निवासी जयपहाड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं।

——— वादी

बनाम

1. लादूराम पुत्र सांवतराम जाति मेघवाल निवासी जयपहाड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं
2. बृजलाल पुत्र सांवतराम जाति मेघवाल निवासी जयपहाड़ी तहसील व जिला झुंझुनूं
3. अरिविन्द पुत्र ग्यारसीलाल
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू।

——— प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम जयपहाड़ी पटवार हल्का जयपहाड़ी तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में जमीन हाल ख.नं. 5 रकबा 1.62 हैक्टर, खसरा नं. 6 रकबा 1.76 है0, खसरा नं. 31 रकबा 0.41 है0, खसरा नं. 32 रकबा 0.12 है0, खसरा नं 33 रकबा 1.01 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 4.92 है0 स्थित है। वादपत्र में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 की पैतृक खातेदारी की भूमि है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का पूर्वज मंगलाराम था जिसका 82 वर्ष पूर्व देहान्त होने पर विवादित आराजी उसके दो पुत्रान सांवतराम व हरदेवा राम के हिस्से में आई। सांवतराम के देहान्त सन 1981 में हो गया जिसके तीन पुत्र क्रमशः लादूराम प्रतिवादी नं. 1, बृजलाल प्रतिवादी नं. 2 व वादी आनंददेव पैदा हुए। मंगलाराम के दूसरे पुत्र हरदेवाराम का देहान्त सन 1978 में हो चुका। उक्त हरदेवाराम नाऔलाद फौत हो गया तथा उसकी पत्नी का देहान्त भी उसके जीवनकाल में ही हो गया। हरदेवाराम की मृत्यु के पश्चात उसकी समस्त आराजियात को सांवताराम ने अकेले ही काश्त की ओर काबिज काश्त रहा। सांवताराम की मृत्यु के पश्चात सांवतराम के तीनों पुत्रों ने अपने हक हिस्से के अनुसार जमीन जैर बहस काबिज काश्त किया। ओर आज भी तीनों मौके पर काबिज काश्त हैं। वादी अपने हक हिस्से की जमीन को विधिवत विभाजन करवाना चाहता है। वादी ने सहमति से विभाजन हेतु दिनांक 16.06.2016 को राजस्व कैम्प में करवाने हेतु उपस्थित हुआ परन्तु मौके पर काबिज काश्त अनुसार विभाजन करवाने को प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुए। इस कारण न्यायालय में वाद दायर करना पड़ा।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 17.08.2022 को वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा अपने पत्र क्रमांकः भू0अ0/2022/3539 दिनांक 24.11.2022 के द्वारा इस न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये। विभाजन प्रस्ताव शामिल गिसाल किये गये। वकील वादी के निवेदन पर आज बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वादीगण की ओर से अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

श्री महेश जाखड़ ने निवेदन किया कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किया जाये। अधिवक्ता वादी ने पत्रावली में संलग्न शपथ पत्र व जबाब में पेश की गई प्रतिवादीगण की सहमति का भी हवाला दिया। अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया कि मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। बहस वकील वादीगण पर बगौर मनन किया गया तथा रिपोर्ट तहसीलदार व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

–: निर्णय :–

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि वादपत्र में वर्णित भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पत्र क्रमांकः भू0अ0/2022/3539 दिनांक 24.11.2022 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner